

बिहार सरकार

समाहरणालय रोहतास


(जिला पशुपालन कार्यालय)

निविदा संख्या -01 / 2018-19 (चारा)

उत्पादक/भंडारकर्ता/उप भंडारकर्ता/पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़/सुखाड़ सहाय कार्य के लिए पशु चारा (गेहू भूसा/मुआल कुट्टी)/दाना का सीलबद्ध निविदा रोहतास जिला के विभिन्न प्रखण्डों में वर्ष 2018-19 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रकाशन के 21वें दिन शाम 05:00 बजे तक जिला पशुपालन कार्यालय, रोहतास में प्राप्त किया जाएगा। निविदा को जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा क्रय कमिटी के द्वारा निविदा प्रकाशन के अंतिम तिथि के अगले दिन खोला जाएगा।

निविदा की शर्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाइट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।


जिला पशुपालन पदाधिकारी,
रोहतास (सासाराम)


जिला पदाधिकारी
रोहतास (सासाराम)

समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)

निविदा

रोहतास जिला में आरान बाड़/सुखाड़ के पूर्व तैयारियों के क्रम में पशु सुखा चारा (गेहू़ा/पुआल कुट्टी) एवं दाना का दर निर्धारण हेतु सकाम फार्मों से निम्न शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा दाता का फर्म निर्वाचित होनी चाहिए।
2. निविदा दाता को वित्तीय वर्ष 2016–17 तक 3 वर्षों का विक्रीकर एवं आयकर का भुगतान प्रमाण—पत्र निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए। तथा काली सूची में उनका नाम दर्ज नहीं होना चाहिए।
3. निविदा के साथ रु0—2000/- (दो हजार) का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के नाम से सासाराम में भुगतेय होगा एवं असफल निविदादाता को अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट उसी समय लौटा दिया जाएगा तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक कर रखी जाएगी।
4. निविदा मोहर बन्द लिफाफे में निविदा प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर 05 बजे अपराह्न तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। निविदा प्रकाशन से अतिन तिथि के अगले कार्य दिवस को जिला क्रय समिति के समझ खोली जायेगी तथा जिसमें निविदा दाता अथवा उनके प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।
5. सामग्री उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए। सामग्री आदेश के पश्चात 24 घंटे के अन्दर आपूर्ति करनी होगी। निविदा दाता सामग्री आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना पारदर्शी प्लारटीक की धीली में सील बंद कर उसपर नाम एवं पता तथा मोबाइल नं० अंकित हो उक्त तिथि को साथ रखना होगा।
6. निविदा दाता का सामग्री आपूर्ति से संबंधित यदि अनुभव प्रमाण—पत्र हो तो निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
7. निविदा दाता को वित्तीय तथा तकनीकी निविदा अलग—अलग सील बन्द लिफाफे में देना होगा। जिस पर सुखा चारा (गेहू़ा भूसा/पुआल कुट्टी) हेतु निविदा अंकित होना चाहिए एवं किसी निविदा को रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
8. वित्तीय निविदा में सुखा चारा (गेहू़ा भूसा/पुआल कुट्टी) का दर साफ—साफ लिखा होना चाहिए। कटींग/ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
9. बाढ़ एवं सुखाड़ होने पर प्रभावित प्रखण्डों के शिविर स्थल पर सुखा चारा (गेहू़ा भूसा/पुआल कुट्टी) आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा।
10. सफल निविदा दाता को सात दिन के अन्दर जिला पशुपालन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से एक एकाराननामा करना होगा जिसमें निविदा के सभी शर्तों तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होंगे।
11. शर्तों के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता, गुणवत्ता न्में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी एवं काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जा सकता है।
12. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा एवं कोई भी विवाद सासाराम न्यायालय के दायरे में होगा।
13. सुखा चारा (भूसा/कुट्टी) में 10 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होनी चाहिये एवं कदक (फफुंडी) रहित होना चाहिये।
14. नियमानुसार भुगतान पर कर की कटींती की जायेगी।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
रोहतास, (सासाराम)

9/1
जिला पदाधिकारी
रोहतास, सासाराम